महत्वपूर्ण एवं खास

टिप्पर ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत

जगदलपुर (आरएनएस)। नगरनार थाना क्षेत्र के उलनार में शनिवार की सुबह एक टिप्पर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उलनार से मालगाँव जाने वाले मार्ग में टिप्पर सीजी 17 एच 2603 ने विपरीत दिशा से आ रहे बाइक में सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई गई है।

चार इंस्पेक्टर के प्रभार में फेरबदल

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में पदस्थ चार निरीक्षकों के तबादले आदेश जारी किये गये है। जारी लिस्ट में पंडरी थाना, पुरानी बस्ती, रक्षित केन्द्र के इंस्पेक्टरों के नाम शामिल है। ये आदेश रायपुर एसएसपी आरिफ शेख ने जारी किया है। निरीक्षक एस.एन.अख्तर रक्षित केन्द्र रायपुर से थाना पण्डरी व निरीक्षक दुर्गेश रावटे को पुरानी बस्ती थाना से रक्षित केन्द्र रायपुर, निरीक्षक सोनल ग्वाला को पण्डरी थाना से रक्षित केन्द्र रायपुर एवं निरीक्षक राजेश सिंह को रक्षित केन्द्र रायपुर से पुरानी बस्ती थाना में पदस्थ किया गया है।

अवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार, 24 पाव देशी शराब जब्त

रायपुर (आरएनएस)। 24 पाव देशी शराब के साथ पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध शराब जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार गंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चूना भट्ठी अंडरब्रिज के ऊपर 12 पाव देशी अवैध शराब के साथ सुरेश गोस्वामी 40 वर्ष पिता मूर्ति गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। इसी तरह उरला क्षेत्र में महाराजा ढाबा के पास सोनडोंगरी से तेजप्रताप दास 25 वर्ष पिता स्व. प्यारेदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 12 पाव देशी शराब जब्त किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34-1 के तहत अपराध कायम कर कार्रवाई किया गया है।

तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बुजुर्ग की गिरने से इलाज के दौरान मौत, 304 ए के तहत मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बुजुर्ग की गिरने से मौत हो जाने पर पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार निवासी पडकोट थाना जोंक जिला नवापारा ओडिशा निवासी लखनलाल 64 वर्ष पिता नाथुराम देवांगन मोटरसाइकिल क्रमांक ओआर 26 ए 2190 के चालक भानुप्रताप 42 वर्ष पिता भनतराम देवांगन निवासी जोंक नवापारा के साथ मृतक मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर आ रहा था, तेज रफ्तार गति से मोटरसाइकिल चलाने के चलते मृतक ग्राम तुलसी तिल्दा नेवरा के पास मोटरसाइकिल से 25 अगस्त को गिर गया जिसके चलते इलाज के लिए मिशन अस्पताल तिल्दा में भर्ती किया गया था जहां इलाज के दौरान 26 अगस्त को मौत हो जाने पर पुलिस ने जांच के बाद मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

इनाम का प्रलोभन देकर ठगी

कोरबा (आरएनएस)। एक टीवी चैनल के चर्चित कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में 25 लाख रुपये इनाम में जीतने का प्रलोभन देकर ठग ने एक व्यक्ति को झांसे में ले लिया। लखपति बनने की लालच में आए व्यक्ति ने ठग के बताए गए बैंक एकाउंट में आठ हजार रुपये भी भेज दिए। ठग ने फिर से कॉल कर उसे दोगुना रकम मंगाया और वह व्यक्ति 16 हजार रुपये लेकर बैंक पहुंच गया। यहां एक अन्य व्यक्ति को पता चला, तो उसने उसे ठग जाने का एहसास दिलाया। केबीसी के नाम पर ठगी किए जाने का यह मामला दीपका के शांतिनगर का है। ठगी का शिकार हुए बमबम मंडल को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर केबीसी में 25 लाख की रकम जितवाने का लालच दिया। ठग ने बमबम को जाल में फंसाते हुए शुक्रवार को स्टेट बैंक कोलकाता के अकाउंट नंबर 387171 056 35 किसी सुभाष रावत के नाम पर रकम ट्रांसफर कराई है।

मुलेर में हुई मुठभेड़, मारा गया एक नक्सली

सुकमा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बल के जवानों के साथ शनिवार की सुबह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ फुलपगड़ी थाना क्षेत्र के मुलेर इलाके में जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक नक्सली को भी मार गिराया है। फिलहाल डीआरजी की टीम अभी भी घटना स्थल में मौजूद है। एसपी शलभ सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवानों को लगातार फुलपगड़ी इलाके में नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना मिल रही थी। खबर मिलते ही डीआरजी की टीम शुक्रवार को इलाके की सर्चिंग के लिए बेस कैंप से निकली थी। सर्चिंग के दौरान जैसे ही जवान मुलेर इलाके में पहुंचे नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरु कर दी। जवानों और नक्सलियों के बीच कुछ देर तक लगातार फायरिंग भी हुई। मोर्चा संभालते हुए, जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई किया है। जवानों के कार्रवाई के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को भी मार गिराया है। इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। डीआरजी की टीम अभी भी घटना स्थल में मौजूद है। जवानों के वापस लौटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

पांचवी और आठवीं पास की बाध्यता होगी खत्म अब केवल साक्षर होने पर उम्मीदवार लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

» मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में संशोधन के प्रस्ताव का किया अनुमोदन » प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर निःशक्तजन भी हो सकेंगे नामांकित » मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावों का किया अनुमोदन

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में अब पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं और आठवीं की बाध्यता समाप्त होगी। अब केवल साक्षर होने पर उम्मीदवार लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में संशोधन के इस प्रस्ताव का अनुमोदन

किया गया। यह प्रस्ताव अब विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय की धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है। इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में निःशक्त व्यक्ति के निर्वाचित नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायतों में उनके नामांकन का प्रावधान नहीं है। साथ ही पंचायतों में पदाधिकारियों के निर्वाचन में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पंच पद के लिए पांचवीं और पंच के ऊपर के पदधारी के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इन प्रावधानों को संशोधन किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अब जिन पंचायतों में निर्वाचन के पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में वहां निःशक्त व्यक्ति को नामांकित करने के संबंध में तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में केवल साक्षर होने पर ही, निर्वाचन हेतु पात्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद के बैठक में अनुमोदित किया गया।

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में दो नये विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, इनमें महात्मा गांधी के नाम पर उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय और रायगढ़ में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नाम पर नये विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। बैठक में इसके साथ ही विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य विधेयकों के संशोधन प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।

संडे ड्यूटी को लेकर कर्मशाला का घेराव

कोरब (आरएनएस)। एसईसीएल के कर्मचारियों ने आज यहां स्थित केन्द्रीय उत्खनन कर्मशाला का घेराव किया। उनकी मांग थी कि पूर्व की तरह रविवार की ड्यूटी उपलब्ध करायी जाए। अधिकारियों ने मसले को उच्चाधिकारियों पर छोड़ दिया।

कहा गया कि कर्मचारियों को नियमित रूप से रविवार ड्यूटी पर काम करने दिया जा रहा था। 3 ड्यूटी उन्हें इस कड़ी में प्राप्त हो रही थी। प्रबंधन ने बिना किसी जानकारी के एक ड्यूटी की कटौती कर दी। आर्थिक लाभ प्रभावित होने पर कर्मचारी बेचैन हो गए। आज उन्होंने इसे लेकर कर्मशाला का घेराव किया। कहा गया कि कर्मचारी उस उम्र को पार कर रहे है, जहां भविष्य के हिसाब से कुछ बाकी नहीं रहता। शिक्षा और आवास के लिए लोन लिया गया है। इसे अदा करना एक बड़ी चुनौती है। संडे सुविधा नहीं मिलने से मानसिक परेशानी बढ़ रही है। तर्क दिया गया कि महाप्रबंधक एक तरफ लक्ष्य से पीछे चलने की बात कह रहे हैं और फंड उपलब्ध नहीं है।

जबकि वर्कशाप में जगह कम होने के बावजूद जबरिया जगह बनाकर पीआरपी का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है।

चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध 403 प्रकरण दर्ज

» 154 प्रकरणों में की जा रही है कुर्की की कार्रवाई

» निवेशकों के धन वापसी की प्रक्रिया शुरू

रायपुर (आरएनएस)। चिटफंड कम्पनियों के मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई के साथ ही इन कम्पनियों से धोखाधडी के शिकार लोगों की धन वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है। राज्य में अनियमित वित्तीय (चिटफंड) कम्पनियों के विरूद्ध 403 प्रकरणों दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है बिलासपुर सिविल लाइन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रूपए की राशि वापस कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चिटफंड कम्पनियों के प्रबंधकों और संचालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने और इन कम्पनियों के एजेन्टों और अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित आज कैबिनेट की बैठक में अनियमित वित्तीय

(चिटफंड) कम्पनियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा गई और अधिकारियों को दर्ज प्रकरणों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 से अक्टूबर 2019 तक दर्ज किए प्रकरणों में छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2005 के तहत 248, ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत 65 और भारतीय दण्ड विधान की धारा के तहत 90 प्रकरण शामिल हैं। इन दर्ज किए गए प्रकरणों में डायरेक्टर के विरूद्ध 379, पदाधिकारियों के विरूद्ध 148 प्रकरण शामिल हैं। धन वापसी की प्रक्रिया में कुल 154 प्रकरणों में सम्पत्ति का चिन्हांकन किया गया है तथा इन प्रकरणों में कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।

कचरे से तैयार खाद की मांग नहीं, सालभर में पांच हजार की भी नहीं बिकी

महासमुंद (आरएनएस)। पालिका द्वारा कचरों से तैयार जैविक खाद की मांग शहर में ना के बराबर है। यही कारण है कि सालभर में महज पांच हजार की भी बिक्री नहीं हो पाई है। तुमाडबरी स्थित केन्द्र में बिक्री के अभाव में खाद जाम है। जानकारी के मुताबिक पालिका में खाद की बिक्री दिसबंर 2018 से शुरू की गई है। अब तक कुल 4630 रूपए का खाद ही बिकी है। ज्ञात हो कि मिशन क्लीन सिटी के तहत घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे से जैविक खाद तैयार किया गया है। पालिका ने एक साल में करीब एक टन खाद तैयार किया है जिसमें से मात्र एक क्विंटल खाद ही बेच पाई है। मिशन क्लीन सिटी के नौशाद बख्श ने बताया कि ज्यादातर खाद लोग गमलों में फूल लगाने के लिए लेकर जाते हैं।

ऑटो व तीन मोटरसाइकिल सहित सायकल में आगजनी, अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। घर के बाहर खड़ी एक आटो व तीन मोटरसाइकिल को किसी ने आग लगा दिया। जिसके चलते मोटर साइकिल व आटो जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पुजारी पेट्रोलपंप के पीछे आदर्शनगर निवासी अमरदीप तांडेकर 36 वर्ष पिता सेवक दास तांडेकर ने राजेन्द्रनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी सवारी मोची काम व आटो चलाने का कार्य भी करता है। 22 नवंबर को बजाज आटो क्रमांक सीजी 04 एम आर 5458 को दोपहर 2.30 बजे के लगभग कमल बांधे के घर के सामने खड़ी कर दिया था वहां पर कमल बांधे अपनी गाड़ियां मोटर सायकल तथा घर के बच्चों की सायकल खड़ी किया था। ऑटो के अलावा कमल बांधे की मोटर सायकल

सीजी 04 एमजी.4165 (हीरो डीलक्स), एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 डी क्यू 4349, हीरो डीलक्स सीजी 04 के क्यु 0340 तथा तीन नग सायकल खड़ी थी रात्री 12.30 बजे जब मैं देखा तब सभी गाड़िया एवं सायकल सही सलामत खड़ी थी,रात्रि करीबन 01.30 बजे के लगभग पड़ोसियों द्वारा आग लगने का हो हल्ला मचाने पर बाहर आकर देखा तो मेरी बजाज आटो तथा कमल बांधे की तीनों मोटर सायकल एवं सायकल में आग लगी हुई थी सभी गाड़िया धू-धू कर जल कर खाक हो गई।

मुख्यमंत्री ने बीजापुर में 291 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

» जिला चिकित्सालय बीजापुर में सिटी स्कैन, इको कार्डियोग्राफी, एक्स-रे और सोनोग्राफी सुविधा का किया शुभारंभ

» सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उसूर और गंगालूर के लिए दो नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 291 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की जिलेवासियों को सौगात दी। उन्होंने इस अवसर पर जिला चिकित्सालय बीजापुर में सिटी स्कैन मशीन, इकोकार्डियोग्राफी, एक्स-रे और सोनोग्राफी सुविधा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर

पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उसूर और गंगालूर के लिए दो नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तयामत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य राज्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विशेष कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक हुई

» छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम सहित अनेक मुद्दों पर हुए अहम निर्णय

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की कतिपय धाराओं में संशोधन प्रस्ताव उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन

विधेयक छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नये विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय स्व. नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019 छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019 नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों के आबंटन पर वार्षिक किराया का निर्धारण प्रस्ताव राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्षेत्रीय बंधन के साथ सरल क्रमांक 12 में सम्मिलित जाति जालारी (जालारलु) के संबंध में। राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उल्लेखित क्षेत्रीय बंधन को विलोपित करने संबंधी प्रस्ताव स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पाटी जिला कोरिया को आबंटित भूमि पर अधिरोपित प्रब्याजी राशि कम करने संबंधी प्रस्ताव आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2019 में दिनांक 30.10.2019 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में अनियमित (चिटफण्ड) कंपनियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। जिसमें अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ ठगी की गई राशि की वापसी के संबंध में समीक्षा की गई। बिलासपुर सिविल लाईन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रूपए की राशि वापस कर दी गई है।